न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 55/2020, जिला दौसा

1. हरचन्द पुत्र श्री शंकरलाल जाति बैरवा, निवासी सिकन्दरा हाल निवासी मित्रपुरा भाण्डारेज मोड दौसा जिला दौसा।
2. भौरीलाल पुत्र श्री सोहनलाल जाति महावर निवासी ग्राम पालावास हाल निवासी मित्रपुरा भाण्डारेज मोड दौसा जिला दौसा।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए जिला कलेक्टर दौसा।
2. तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा।
3. जोधपुर विश्वविद्यालय जरिए जोधपुर विश्वविद्यालय जोधपुर राज0।

—रेस्पोडेन्ट्स्

उपस्थित

1. श्री विजय कुमार शर्मा, वकील अपीलान्ट .
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 1 व 2
3. रेस्पोडेन्ट नं. 3 अनुपस्थित।

अपील विरूद्व आदेश जिला कलक्टर दौसा दिनांक 27.03.2018 आदेश क्रमांक आर. 18 (21) 2018/2844 जिसके जरिए आंवटन निरस्त कर चरागाह दर्ज करने के आदेश पारित किये गये हैं।

निर्णय

दिनांक —28.08.2023

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 27.03.2018 के खिलाफ दिनांक 10.04.2018 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 27.03.2018 द्वारा जिला कलक्टर जयपुर के आदेश क्रमांकः आर.18ए (113)(80)604 दिनांक 4.2.1981 के द्वारा ग्राम मित्रपुरा तहसील दौसा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 394 रकबा 6.27 है0 में से 0.50 है0 भूमि जोधपुर विश्वविद्यालय नाम से आंवटित की गई थी। उक्त आंवटित का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो रहा है। किन्तु तहसीलदार दौसा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि पर जोधपुर विश्वविद्यालय का ना तो मौके पर कब्जा है और ना ही कोई भवन/संस्था संचालित है। जोधपुर विश्व विद्यालय द्वारा आंवटन आदेश की पालना नही करना व्यक्त करते हुये तहसीलदार दौसा ने उक्त आंवटन आदेश को निरस्त करने की अभिशंषा की है। राजस्थान भू–राजस्व आंवटन नियम 1963 के प्रावधानों के अन्तर्गत आंवटित भूमि पर आंवटित संस्था द्वारा निश्चित अमयावधि में निर्माण करवाकर उसका उपयोग करने पर आंवटन शर्तों की पालना नहीं होना मानते हुये आंवटन निरस्त करने का प्रावधान है। अतः तहसीलदार दौसा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मित्रपुरा तहसील दौसा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 394 रकबा 6.27 है0 में से 0.50 है0 भूमि जोधपुर विश्वविद्यालय हेतु जिला कलक्टर जयपुर द्वारा उनके आदेश क्रमांकः आर.18ए (113) (80)604 दिनांक 4.2.1981 के द्वारा आंवटित की गई थी। जिसका मौके पर अब तक कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त आंवटन आदेश को एतद् द्वारा निरस्त करते हुये भूमि को पूर्वतः चरागाह दर्ज करने एवं उस पर किये गये निजी व्यक्तिओं द्वारा अतिक्रमण को भौतिक रूप से हटाने के आदेश तहसीलदार दौसा को आदेश पारित किये गये।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. जिला कलेक्टर दौसा के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.03.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 27.03.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई ।

Scanned with OKEN Scanner

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट नं. 3 बाद तामिल हाजिर नहीं आये। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वर्ष 1981 में जोधपुर विश्वविद्यालय की अनुशंषा पर निर्धन व्यक्तियों को निशुल्क आवास आवास कराने हेतु जोधपुर विश्वविद्यालय को आराजी खसरा नम्बर 394 रकबा 6.27 है0 में से 0.50 हैक्टेयर भूमि तत्कालीन जिला कलेक्टर दौसा द्वारा दिनांक 4.2.81 को आंवटित की गई तथा उक्त भूमि आबादी के रूप में परिवर्तित कर दी गई। जोधपुर विश्वविद्यालय द्वारा उक्त भूमि पर सन 1981 में ही मौके पर कब्जा प्राप्त कर आवासीय निर्माण किया गया किन्तु गुणवत्ता पूर्ण कार्य नहीं होने से उक्त आवास रहने योग्य नहीं था जिसके कारण उक्त आवासों में किसी भी व्यक्ति द्वारा रहवास नहीं किया गया। कालान्तर में धीरे धीरे उक्त निर्माण ध्वस्त होने लगे तो ग्राम पंचायत जौपाडा द्वारा वर्ष 1991 में प्रस्ताव पारित कर आवासीय कॉलोनी के रूप में इन्द्रा आवास योजना के नाम से उक्त भूमि को आवासीय भूखण्ड के रूप में बेचान कर दिये जिसमें अपीलान्ट ने भी ग्राम पंचायत जौपाडा से भूखण्ड क्रय किया तथा जिसकी विक्रय शुल्क ग्राम पंचायत में जमा कराई गई जिस पर अपीलांट के नाम ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी कर दिया गया। उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड पर अपीलांट व अन्य भूखण्ड पर जिन जिन व्यक्तिओं ने पट्टा प्राप्त किया है। वे पुख्ता मकान बनाकर आवास करते चले आ रहे है किन्तु योग्य अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा ने तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर उक्त भूमि पर जोधपुर विश्वविद्यालय कब्जा न होना व भूमि पर कोई संस्था न होना मानते हुए व आंवटित संस्था द्वारा निश्चित समयावधि में निर्माण करवाकर उसका उपयोग नहीं होना मानकर व आंवटन शर्तों की पालना नहीं होना मानते हुए स्वंय के आंवटन आदेश को ही निरस्त करते हुए भूमि को चरागाह दर्ज करने एवं उस पर किये गये निजी व्यक्तिओं द्वारा अतिक्रमण को भौतिक रूप से हटाने के आदेश तहसीलदार दौसा को पारित फरमा दिये गये। ग्राम पंचायत द्वारा वादग्रस्त आराजी का बेचान अपीलान्ट व अन्य लोगों को किया गया है तथा प्रार्थीगण अपीलांट व अन्य क्रेतागणों द्वारा ग्राम पंचायत जौपाडा में 2600/–रूपये प्रत्येक जमा कराकर नियमानुसार भूखण्डों का पट्टा प्राप्त किया है जिस पर अपीलांट व अन्य लोग आराजी वादग्रस्त पर काबिज होकर रहवास करते चले आ रहे है किन्तु योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने बिना ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड तलब किये बिना ही मौके की वस्तु स्थिति के विपरीत अपना आदेश पारित करने में कानूनी गलती की है। वादग्रस्त आराजी पर मौके पर आवासीय भूखण्ड बने हुए हैं जिनमें अपीलांट व अन्य लोग अपने परिवार सहित निवास कर लाभान्वित होते चले आ रहे हैं तथा अपने आवासों में विद्युत कनेक्शन स्थापित कर रखा है किन्तु योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने बिना मौका रिपोर्ट लिए एवमं बिना ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड तलब किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित करने में अहम काननी त्रुटि की है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश अपीलांट के पीठ पीछे बिना अपीलांट को प्रकरण में पक्षकार बनाये व बिना अपीलांट को सुनवाई व सबूत पेश करने का अवसर दिये बगैर पारित फरमाया है जिससे अपीलांट सीधे प्रभावित पक्षकार है क्योंकि मौके पर अपीलांट अपने परिवार सहित आवासों में निवास कर रहे हैं ऐसी सूरत में अपीलांट धारा 96 सी.पी.सी. के तहत एग्रीव्ड परसन होने के कारण उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी है। जिसकी अनुमति अपीलान्ट को प्रदान फरमाया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश शून्य एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 27.03.2018 निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता व वकील रेस्पोडेन्ट ने विरोध करते हुये कथन किया कि जिला कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 27.03.2018 द्वारा तहसीलदार दौसा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मित्रपुरा तहसील दौसा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 394 रकबा 6.27 है0 में से 0.50 है0 भूमि जोधपुर विश्वविद्यालय हेतु जिला कलक्टर जयपुर द्वारा उनके आदेश क्रमांकः आर.18ए (113) (80)604 दिनांक 4.2.1981 के द्वारा आंवटित की गई थी। जिसका मौके पर अब तक कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त आंवटन आदेश को एतद् द्वारा निरस्त करते हुये भूमि को

Scanned with OKEN Scanner

पूर्वतः चरागाह दर्ज करने एवं उस पर किये गये निजी व्यक्तिओं द्वारा अतिक्रमण को भौतिक रूप से हटाने के आदेश तहसीलदार दौसा को आदेश पारित किये गये हैं। उनका कहना है कि अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि जिला कलक्टर दौसा ने जिला कलक्टर जयपुर के आदेश क्रमांकः आर. 18ए (113) (80) 604 दिनांक 4.2.1981 के द्वारा ग्राम मित्रपुरा तहसील दौसा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 394 रकबा 6.27 है0 में से 0.50 है0 भूमि जोधपुर विश्वविद्यालय नाम से आंवटित की गई थी। उक्त आंवटित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो रहा है। किन्तु तहसीलदार दौसा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि पर जोधपुर विश्वविद्यालय का ना तो मौके पर कब्जा है ओर ना ही कोई भवन/संस्था संचालित है। जोधपुर विश्व विद्यालय द्वारा आंवटन आदेश की पालना नहीं करना व्यक्त करते हुये तहसीलदार दौसा ने उक्त आंवटन आदेश को निरस्त करने की अंभिशंषा की है। राजस्थान भू–राजस्व आंवटन नियम 1963 के प्रावधानों के अन्तर्गत आंवटित भूमि पर आंवटित संस्था द्वारा निश्चित समयावधि में निर्माण करवाकर उसका उपयोग नहीं करने पर आंवटन शर्तो की पालना नहीं होना मानते हुये आंवटन निरस्त करने का प्रावधान है। जिसके आधार पर जिला कलक्टर दौसा ने तहसीलदार दौसा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मित्रपुरा तहसील दौसा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 394 रकबा 6.27 है0 में से 0.50 है0 भूमि जोधपुर विश्वविद्यालय हेतु जिला कलक्टर जयपुर द्वारा उनके आदेश क्रमांक क्रमांकः आर.18ए (113) (80)604 दिनांक 4.2.1981 के द्वारा आंवटित की गई थी। जिसका मौके पर अब तक कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये उक्त आंवटन आदेश को एतद् द्वार निरस्त करते हुये भूमि को पूर्वतः चरागाह दर्ज करने एवं उस पर किये गये निजी व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण को भौतिक रूप से हटाने के आदेश तहसीलदार दौसा को आदेश पारित किये गये हैं। अपीलान्ट का यह कहना है कि ग्राम पंचायत जौपाडा द्वारा वर्ष 1991 में प्रस्ताव पारित कर .आवासीय कॉलोनी के रूप में इन्द्रा आवास योजना के नाम से उक्त भूमि को आवासीय भूखण्ड के रूप में बेचान कर दिये जिसमें अपीलान्ट ने भी ग्राम पंचायत जौपाडा से भूखण्ड क्रय किया तथा जिसकी विक्रय शुल्क ग्राम पंचायत में जमा कराई गई जिस पर अपीलांट के नाम ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी कर दिया गया। अधीनस्थ रिकार्ड अनुसार विवादित भूमि जोधपुर विश्वविद्यालय हेतु जिला कलक्टर जयपुर द्वारा आंवटित की गई थी, तो फिर ग्राम पंचायत जौपाडा ने किस आधार पर आवासीय भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है। पटवारी हल्का पालावास एवं भू.अ.निरीक्षक भांकरी की मौका रिपोर्ट दिनांक 8.3.2018 के अनुसार भी ग्राम मित्रपुरा ख.नं. 394/1 रकबा 0.50 है0 जोधपुर विश्व विद्यालय के नाम आवासीय दर्ज बताया गया है। आंवटित भूमि पर अपीलांट का कब्जा होने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे उनके कथन की पुष्टि नहीं होती है। जिसके संबंध में किसी प्रकार के एतराज या उज्रात की लोकस स्टेण्डाई अपीलांट को नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2018 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः आदेश हैं कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा दिनांक 27.03.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/8/23

(प्रमिल कुमार माथुर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner